

जनपद न्यायालय सुलतानपुर
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से तृतीय श्रेणी संवर्ग में प्रोन्नति हेतु लिखित परीक्षा 2026
परीक्षा संबंधी निर्देश

- समस्त अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में नियत दिनांक-05.10.2026 को निर्धारित समय (8.30 से 9.30 प्रातः) से 15 मिनट पूर्व उपस्थित रहेंगे। परीक्षा स्थल जनपद न्यायालय सुलतानपुर का मीटिंग हॉल होगा।
- समस्त अभ्यर्थी न्यायालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र लेकर परीक्षा में उपस्थित होंगे।
- अभ्यर्थीगण हार्डबोर्ड/दफ्ती अपने साथ लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे। परीक्षार्थी केवल एक ही रंग के पेन नीला/काला का प्रयोग करेंगे। पेंसिल का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध है।
- परीक्षार्थी अपने नाम, अनुक्रमांक (Roll Number) तथा अन्य आवश्यक विवरण केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकित करेंगे।
- उत्तर-पत्र पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक लेखन, चिन्ह, हस्ताक्षर या पहचान चिह्न अंकित करना निषिद्ध है।
- परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षार्थी आपस में बातचीत अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी सामग्री का आदान-प्रदान नहीं करेंगे। परीक्षार्थी को प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर-पत्र परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना पूर्णतः निषिद्ध होगा।
- परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात किसी अन्य परीक्षार्थी की उत्तर-पुस्तिका शीट देखना या दिखाना अनुशासनहीनता माना जाएगा। परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की पुस्तक, नोट्स, पर्ची, लिखित सामग्री या अनुचित सहायता सामग्री परीक्षा कक्ष में नहीं रखेगा।
- परीक्षार्थी को प्रश्न-पुस्तिका एवं उत्तर-पत्र निर्देश मिलने के बाद ही खोलना अथवा उसमें प्रविष्टि करना होगा।
- परीक्षा समाप्त होने की घोषणा के पश्चात परीक्षार्थी तुरन्त लिखना बंद करेंगे और उत्तर-पत्र निरीक्षक को सौंपे बिना परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाएंगे।
- उत्तर-पत्र पर व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड अथवा किसी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग न करें।
- नकल, अनुचित साधन (Unfair Means), किसी अन्य परीक्षार्थी की सहायता लेना अथवा सहायता करना परीक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
- श्रुतिलेख: आलेख 15 मिनट तक बोला जाएगा। आलेख बोलने के पश्चात दोबारा नहीं बोला जायेगा। प्रत्येक अशुद्ध/गलत शब्द लिखने पर 1/2 अंक काट लिया जायेगा। पूरा वाक्य न लिखने पर प्रत्येक वाक्य पर एक अंक की कटौती की जायेगी। मूल्यांकन बोले गये मूल आलेख से मिलान के आधार पर किया जाएगा।
- हिन्दी एवं अंग्रेजी शब्दज्ञान: परीक्षा में अभ्यर्थियों से दैनिक न्यायालयीन कार्य में प्रचलित 20 हिन्दी शब्द तथा 20 अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए पूछे जाएंगे। हिन्दी शब्दों के लिए पूर्णांक 10 अंक होगा तथा अंग्रेजी शब्दों के लिए भी पूर्णांक 10 अंक होगा। इस खंड के लिए निर्धारित प्रत्येक शब्द के 1/2 अंक होंगे। गलत शब्द लिखने पर कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।
- परीक्षा में सामान्य ज्ञान के खण्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों का पूर्णांक 15 अंक होगा। गलत उत्तर देने पर या न देने की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देश माननीय जनपद न्यायाधीश सुलतानपुर व नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय सुलतानपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये तथा सिस्टम ऑफिसर उक्त को जनपद न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

सुश्री प्रियंका दिवाकर,

सिविल जज (जू०डि०), एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), सुलतानपुर।
(सदस्य)

मयूरेश श्रीवास्तव

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०-21, सुलतानपुर।
(सदस्य)

स्वतन्त्र प्रकाश

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०-II, सुलतानपुर।
(अध्यक्ष)